विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

भारतवर्ष की देशज (Indigenous) एवं संकटासन्न (Endagerad) भाषाओं के अध्ययन एवं शोध हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

पृष्ठभूमिः

गत कुछ वर्षों में भारतवर्ष की विस्मयकारी भाषायी विविधता गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। भाषा संकटासन्न होना यद्यपि एक वैश्विक स्थिति है, तथापि उसी सीमा तक भारतवर्ष भी इन क्षेत्रों के निःशेष होने का सामना कर रहा है–तथा इस दिशा में गत कुछ वर्षों में जोखिम की मात्रा विशाल रूप से बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अभिमुख होकर, इस परिस्थिति को भारतवर्ष में एवं समस्त विश्व में दोनों प्रकार से ही अवरुद्ध करना अत्यावश्यक है। तदनुसार इस परिप्रेक्ष्य में, विश्वविद्यालयों द्वारा संकटासन्न भाषाओं के संरक्षण एवं उनकी प्रोन्नति करने वाले प्रभावी प्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। संकटासन्न भाषाओं के संरक्षण एवं उन्हें प्रोन्नत करने के प्रति तथा ऐसी भाषाओं से संबद्ध समस्त विवादित बातों पर विचार करने के लिए यूजीसी ने ऐसी भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोन्नति संबंधी एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। अन्य बातों के अतिरिक्त समिति ने राज्य विश्वविद्यालयों को उनकी मानविकी एवं भाषा विभागों द्वारा किया गया ऐसा शोध एवं अध्ययन जो संकटासन्न एवं देशज भाषाओं के प्रलेखीकरण संरक्षण, प्रोन्नति एवं उनके पुर्न प्रबलित करने के प्रति अभिमुख हैं ऐसे उद्देश्य से उस शोध एवं अध्ययन को समर्थन देने की अनुशंसा की है। आयोग ने "XII वीं योजना अवधि के दौरान देशज एवं सकटासन्न भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोन्नति संबंधी अध्ययन एवं शोध के लिए वित्तीय सहायता" नामक योजना के लिए समिति की अनुशंशाएँ स्वीकार की हैं तथा इस योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

यदि किसी स्थिति में देशज भाषाओं/संकटासन्न भाषाओं के लिए ऐसा ही एक केन्द्र राज्य विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित कर चुका है तो उस वर्तमान केन्द्र का संबंर्धन योजना हेतु आवेदन का वह पात्र होगा। देशज एवं संकटासन्न भाषाओं के लिए समर्थन को किसी नए विभाग की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में अथवा पृथक रूप से अध्यापन विभाग की स्थापना के रूप में ना देखा जाए। बल्कि इस समर्थन को, मौजूदा भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान एवं साहित्य विभागों के लिए सहायक के रूप में प्रयास माना जाए जिसके लिए देशज भाषाओं के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। देशज एवं संकटासन्न भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए सहायक अनुदान द्वारा ऐसी आशा है कि राज्य विश्वविद्यालय– समाप्ति के कगार वाली भाषाएँ, गैर–अनुसूचित, भाषाओं, जनजातियों एवं घुमन्तु समुदायों की भाषाओं तथा ऐसी भाषाएँ जिनके प्रति सामाजिक सहानुभूति एवं

अकादमिक ध्यान किसी सीमा तक दिया जाना जरूरी है–ऐसी समस्त भाषाओं की ओर और अधिक ध्यान देने में यह सहायक अनुदान समर्थक सिद्ध होंगे।

उद्देश्य

देशज एवं संकटासन्न भाषाओं से संबंद्ध अंतर विभागीय एवं अंतर–विषयक शोध कार्य को संभालना;

जो अधिक लघु रूप वाली देशज/संकटासन्न भाषाएँ हैं उनका क्षेत्रीय कार्य, शोध, विश्लेषण पुरालेखीकरण एवं प्रलेखीकरण संभालना;

संकटासन्न भाषाओं पर एकल प्रबंध (मोनोग्राफ), व्याकरण, व्याकरणीय रेखा चित्र, शब्द कोष एवं शब्द भंडार, प्रजाति भाषा विज्ञान एवं सैद्धान्तिक विवरणों, मौखिक एवं लोक साहित्य का संग्रहण एवं विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों का सृजन करना एवं उन्हें प्रकाशित करना;

भाषायी एवं उपभाषायी मानचित्र निर्मित करना जो अल्पसंख्यकों एवं संकटासन्न भाषाओं के विशेष संदर्भ में हो;

संकटासन्न भाषाओं से संबंद्ध उनके अग्रवर्ती शोध को प्रोन्नत करने वाली कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियाँ आयोजित करना;

क्षेत्र भाषा विज्ञान, शब्द कोष विज्ञान एवं आंकड़ों के प्रबन्धन एवं प्रलेखीकरण विषयों में अन्य विभागों के अध्यापकों एवं छात्रों को प्रशिक्षित करना;

संकटासन्न भाषाओं के विभिन्न विचार क्षेत्रों को प्रोन्नत एवं पोषित करना ताकि अल्पसंख्यक वर्गों/संकटासन्न भाषा समुदायों द्वारा भाषा के स्थायित्व के अनुरक्षण एवं संरक्षण सहित लिपि एवं प्रवेशिकाओं जैसे वर्ण–विन्यासों का विकास भी संरक्षित हो सके।

पात्रता

देशज एवं संकटासन्न भाषाओं के संरक्षण एवं उनकी प्रोन्नति हेतु यूजीसी से निधियन के समर्थन संबंधी वित्तीय सहायता के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालय पात्र होंगे। तथापि ऐसे विश्वविद्यायलों को अधिमानता दी जाएगी जिनमें स्नातकोत्तर विभाग, एवं स्नातकोत्तर के पश्चात वाले विभाग, शोधोत्तर शोध सुविधाएँ–भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान एवं अन्य संबंद्ध विषयों में उपलब्ध हैं।

देशज भाषाओं के लिए समर्थन अनुदान संबंधी प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से निम्न को व्यक्त किया जाना चाहिएः

अ) विश्वविद्यालय के निकटतम क्षेत्र में प्रयुक्त देशज भाषाएँ जिनमें उस राज्य की भाषा होगी जहाँ वह विश्वविद्यालय स्थित है तथा ऐसी भाषाएँ जो नजदीकी पड़ोसी में बोली जाती है वे सम्मिलित होंगी;

ब) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/प्रभागों के ऐसे अकादमिक एवं शोध स्टाफ के व्यक्ति जो इस समर्थन अनुदान के अंतर्गत आवृत्त किए जाने वाले विभागों की गतिविधियों के प्रति अपना योगदान करने के इच्छुक हैं। देशज भाषाओं के क्षेत्र में संकाय सदस्यों एवं शोध स्टाफ द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए योगदान को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए;

स) इस समर्थन अनुदान के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में अनुसरण की जाने वाली शोध योजनाएँ जिनमें आशान्वित परिणामों का संकेत हो–जैसे पुस्तकें, एकल प्रबन्ध, प्रकाशन, आवधिक पत्रिकाएँ आदि जिन पर कार्य करना प्रस्तावित है–तथा इन सब योजनाओं के शीर्षक तथा योजना से जुड़ने वाले संकाय सदस्यों/शोध स्टाफ सदस्यों के नाम;

ड.) पुस्तकालय संसाधन, यात्रा सहायता, प्रलेखीकरण लागत, कार्यशाला एवं बैठकों के व्यय इन से संबंद्ध निधियन संबंधी आवश्यकताएँ जो उपरोक्त "स" में सूत्रबद्ध योजनाओं के लिए हैं;

च) प्रशासनिक/लेखा के लिए, आंकड़ों/तालिका बनाना/प्रक्रिया (डीटीपी) कार्य, वीडियो रिकार्ड अथवा फोटोग्राफी के लिए प्रोजेक्ट स्टाफ को नियुक्त करने के लिए निधियन की आवश्यकता संबंध विवरण;

छ) विश्वविद्यालय के कुलपति आवेदन का पृष्ठांकन करेंगे जिसमें वे "देशज भाषाओं के लिए समर्थन अनुदान" के अंतर्गत आवेदनकर्ता संकाय सदस्यों विभाग के विशिष्ट औचित्य सहित इस प्रस्ताव को यूजीसी को भेजेंगे–जिसके साथ ही उन चिह्नित संकाय सदस्यों की एक सूक्ष्मदृष्टि विवरण भी संलग्न करेंगे। इस सूक्ष्मदृष्टि वाले विवरण में इस समर्थन संबंधी अनुदान के लिए तर्क सहित एक विस्तृत रूपरेखा होनी चाहिए–कि किस प्रकार से प्रस्तावित गतिविधियों द्वारा देशज भाषाओं की स्थिति में सुधार आयेगा–जिन्हें इस अनुदान में आवृत्त किया गया है।

सहायता की अवधि

प्रारंभिक रूप से आयोग 5 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा बशर्ते इस योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंद्ध विभाग/विभागों का संतोषजनक निष्पादन है–जैसा कि लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े, परिणामों द्वारा सत्यापित है तथा जैसा उपरोक्त है;

आवेदन की प्रणाली

यूजीसी समस्त पात्र विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/कुलसचिवो को इस योजना के दिशानिर्देश परिचालित करेगा। विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव यूजीसी को अग्रषित कर दे जिन्हें एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा।

विश्वविद्यालय निर्धारित प्रारूप में दिशानिर्देश के अनुसार संपूर्ण विवरण सहित अपने प्रस्ताव भेजें।

पात्र विश्वविद्यालयों से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को इस प्रतिबद्धता के साथ भेजा जाना चाहिए कि देशज भाषाओं एवं संकटासन्न भाषाओं के प्रस्तावित अध्ययन एवं शोध को संपन्न कराने के प्रति विश्वविद्यालय सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

वित्तीय सहायता

अनावर्ती

1. उपकरण, सॉफ्टवेयर –₹ 90,00,000/–

उपकरणों में श्रव्य–दृश्य वीडियो रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, क्षेत्र कंप्यूटर, स्पीच एवं भाषा सॉफ्टवेयर।

आवर्ती (जो वार्षिकी आधार पर कंप्यूटरीकृत है)

अ.

1. कार्यशाला, संगोष्ठियाँ, विशिष्ट लेक्चर ₹ 6.00,000/–

   पुस्तकालय पुस्तकें, पत्रिकाएँ ₹ 5.00,000/–

2. उपभोज्य ₹ 1.50,000/–

3. यात्रा एवं क्षेत्रीय कार्य ₹ 8,00,000/–

ब.

1. अकादमिक स्टाफ

1. रिसर्च एसोसिएटः 3 तक (तीन तक)
2. भाषा पुरा लेखपाल अथवा प्रलेखन अधिकारीः 1 (एक)
3. लघु अवधि विजिटिंग संकाय यथा आवश्यक, परंतु विविधवत औचित्य के साथ
4. उपायकुशल व्यक्तियों के रूप में मूल निवासी श्रेणियों को आमंत्रित करनाः प्रति सत्र दो श्रेणियों को पीएच.डी. छात्र के जे.आर.एफ. की दर पर भुगतान किया जाए।

2. प्रशासनिक स्टाफ

1. कार्टोग्राफर (अंशकालीन): एक
2. स्टेनो/निजी सचिव–अध्यक्षः एक (अनुबन्धात्मक रूप में)
3. चतुर्थ श्रेणी/मल्टी टास्क संदेशवाहकः एक (अनुबन्धात्मक रूप में)

प्रस्तावों का आकलन

योजना के प्रावधान के अंतर्गत अध्ययन एवं शोध कार्य प्रस्तावित रूप से विश्वविद्यालय के जो प्रतिनिधि करेंगे, उन्हें आकलन समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति रखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि चयनित प्रस्तावों में से अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके।

जैसा कि दिशानिर्देशों में संकेत है उसमें दर्शायी गई वित्तीय सीमा के अनुसार तथा प्रस्ताव की अवधि (जिसे दर्शाया जाना चाहिए) के आधार पर समिति वित्तीय सहायता की राशि को अंतिम रूप प्रदान करेगी।

प्रगति का आकलन

यूजीसी द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करेगी। ऐसा आकलन प्रथम वर्ष के अंत में तथा समर्थन अवधि के

अंत में किया जाएगा। विश्वविद्यालय अर्द्धवार्षिकी प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आशान्वित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान राशि जारी करना

इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष 31 मार्च अथवा उससे पूर्व निधि की उपलब्धता के आधार पर यूजीसी देय अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा।

प्रस्तावित शोध एवं अध्ययन योजना का नेतृत्व करने के लिए संबंद्ध विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होगा कि वह एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को "समन्वयकर्ता" के रूप में चिह्नित करे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके आयोग, कुलपति की सहमति से प्रस्ताव में पहले से ही उपलब्ध व्यक्ति के नाम का अनुमोदन कर सकता है। आयोग को ऐसी आशा है कि पाठ्यक्रम के अधिक श्रेष्ठ समन्वय एवं सफल क्रियान्वयन के प्रति जवाबदेही के अनुरूप वह समन्वयकर्ता पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि तक अथवा अपनी सेवा–निवृत्ति तक–यथा स्थिति–सक्रिय बना रहे।

अनुदानों की प्राप्ति संबंधी शर्तें

1. यूजीसी की सहायता के लिए जो सामान्य निबंधन एवं शर्तें समय–समय पर अनुप्रयोज्य हैं, वे ही इस पाठ्यक्रम के लिए अनुप्रयोज्य हैं।
2. यूजीसी से अनुमति पत्र प्राप्त होने के तुरत पश्चात ही विश्वविद्यालय निम्न सूचना, दस्तावेज के बारे में संप्रेषण करेगा अथवा सौंप देगाः

   अ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव/महाविद्यालय के प्राचार्य एवं पाठ्यक्रम/योजनाके समन्वयकर्ता, अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों से संबंद्ध स्वीकृति पत्र;

   ब) विश्वविद्यालय निकायों (कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, एवं अध्ययन बोर्ड) द्वारा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए प्रस्तावित कार्य–जैसा यूजीसी द्वारा स्वीकृत किया गया है–का एक स्वीकृत पत्र।

   स) पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के लिए एक पृथक बचत बैंक खाता अनुरक्षित किया जाए जिसकी सूचना यूजीसी को प्रदान की जाए।

   ड.) यदि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है तो बैंक का नाम, खात संख्या सहित विस्तृत विवरण यूजीसी को सूचित करें।

च) सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम एवं पूरे पते यूजीसी द्वारा नोट कर लिए जाएँ।

3. यदि किसी स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान संबंधी दिशानिर्देश एवं निबंधन व शर्तों का अनुसरण करने में असमर्थ बना रहता है तो अनुदान रोक दिया जाएगा तथा दी गई निधि की प्रतिपूर्ति के लिए भी कहा जा सकता है–तथा यहाँ तक कि पाठ्यक्रम का भी यूजीसी द्वारा निवर्तन किया जा सकता है।

सर्वेक्षण/पुनरीक्षण समिति

पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं कुशलता को उच्चतमांक पर लाने के लिए विभागों के लिए अधिदेशात्मक है कि मध्यावधि सर्वेक्षण एवं पुनरीक्षण कराया जाए। यूजीसी द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाता है, मध्यावधि सर्वेक्षण समिति जो आयोग द्वारा गठित है उसके द्वारा अकादमिक, शोध उपलब्धियाँ एवं कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण तथा विभाग के प्रकार्यों का पुनरीक्षण किया जाएगा।